

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा

सुनील

विपक्षी

किशनलाल

212 27 2021

पत्रावली संख्या

02/20

सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

28/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

23/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 11/10/22 को पेश हो।

11/10/22

वकुलाय वाशी/प्रतिवादी उप./... नलकी
के लिये मौदा च हते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/01/23

को पेश हो।

SDO मावली

23/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24/4/23 को पेश हो।



20/11/23

पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गावों के संघ अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अविद्यता पक्षकारण को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प मास्ट दिनांक 7/6/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

7/6/23

पत्रावली आज कैम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 7/7/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

17/7/23

वकूलाय दादो/प्रतिवादी संघ. के लिये मौका चाहते हैं। अतः भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/23 को पेश हो।

SDO मावली

23/10/23

पत्रावली पेश ... वकील प्राथी/अपीलाण्ट/तिवादी/विपक्षी/रेशमे उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग पधारं है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5/11/24 को पेश हो

05/10/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता शर्मा मय शर्मा (अनुपस्थित) अधिवक्ता मय शर्मा को आवेजे दिलवाई गई। समय आये 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता मय शर्मा अनुपस्थित रहने पर शर्मा का शर्मा पत्र अधम टावर अधम धरबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिये सुमार होकर नम्बर से कम हो। सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली